

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई
(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-ढेहरी

मु०न० 251 / 2017

वादीगण-

राजस्व लोक अदालत अभियान
स्थाय आपके द्वार-2018

1. श्रवणराम पुत्र शंकरलाल
2. नारायणराम पुत्र शंकरलाल जातियान ब्राहमण निवासी गेलोली तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. शंकरलाल पुत्र किशनलाल
2. कमला देवी पुत्री शंकरलाल
3. तारा देवी पुत्री शंकरलाल
4. सीता देवी पुत्री शंकरलाल
5. संवरी देवी पुत्री शंकरलाल जातियान ब्राहमण निवासी गेलोली तहसील जायल जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-11.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 श्रवणराम हक बंट में मौजा गेलोली के खेत ख नं 719/71 रकबा 08.08 बीघा में से 08.06 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 नारायणराम हक बंट में मौजा गेलोली के खेत ख नं 720/445 रकबा 08.06 बीघा में से 08.04 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी श्रवणराम, नारायण राम व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के सामलाती हक बंट में मौजा गेलोली के खेत ख नं 719/71 रकबा 08.08 बीघा में से 0.02 बीघा उतरी भाग व खेत ख नं 720/445 रकबा 08.06 बीघा में से 0.02 बीघा उतरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.06.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुहायला	जायल, जिला नागौर	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा इन्सु वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्नर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्नर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ		

हमें खर्च के मुद्दों पर मुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- ढेहरी

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/

दिनांक-

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर